तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	1– निगरानी/एलआर/1688/2005/अलवर **शेरसिंह बनाम सरकार व अन्य** **2– निगरानी/एलआर/1689/2005/अलवर** **रामसिंह बनाम सरकार व अन्य** **3– निगरानी/एलआर/1690/2005/अलवर** **शेरसिंह वगैरह बनाम सरकार व अन्य**	
09-10-2025	**एकल–पीठ** **डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री सी.पी. शर्मा, अभिभाषक प्रार्थीगण श्री शिव प्रकाश चौधरी, राजकीय अभिभाषक श्रीमती पूनम माथुर, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 **निर्णय** **1–** हस्तगत तीनों निगरानी प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–2–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये हैं। **2–** उक्त तीनों निगरानियों में विधिक एवं तथ्यगत स्थिति समान हैं तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी इन्हें साथ निर्णीत किया गया है, इसलिये तीनों प्रकरणों में एक साथ बहस सुनी जाकर तीनों निगरानियों का निस्तारण एक निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली के साथ संलग्न की जावे। **3–** प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानी संख्या 1688/2005 उनवानी शेरसिंह बनाम सरकार व अन्य में विवादित भूमि खसरा नम्बर 359 रकबा 15 बिस्वा व 360 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा तथा 369/472 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम चावण्डीखुर्द तहसील तिजारा, निगरानी संख्या 1689/2005 उनवानी रामसिंह बनाम सरकार व अन्य में विवादित भूमि खसरा नम्बर 357/469 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा तथा 358 रकबा 17 बिस्वा व 359/471 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम चावण्डीखुर्द तहसील तिजारा एवं निगरानी संख्या 1690/2005 उनवानी शेरसिंह वगैरह बनाम सरकार व अन्य में विवादित भूमि खसरा नम्बर 369 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा तथा 370 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा तथा 371 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम चावण्डीखुर्द तहसील तिजारा की भूमि आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 06–9–1975 को प्रार्थीगण को आवंटित की गई थी लेकिन तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा ने दिनांक 15–4–1985 को आवंटन निरस्त कर दिया गया। प्रार्थीगणने इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय अलवर के समक्ष पेश की, जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 28–02–2001 द्वारा तहसीलदार तिजारा द्वारा आवंटन निरस्ती आदेश को यथावत रखकर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1– निगरानी/एलआर/1688/2005/अलवर** **शेरसिंह बनाम सरकार व अन्य** **2– निगरानी/एलआर/1689/2005/अलवर** **रामसिंह बनाम सरकार व अन्य** **3– निगरानी/एलआर/1690/2005/अलवर** **शेरसिंह वगैरह बनाम सरकार व अन्य**	
	अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में किये गये आवंटन पर पुर्नविचार करने हेतु निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण की द्वितीय अपील भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के समक्ष पेश होने पर द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28–02–2005 द्वारा अपील खारिज करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय अलवर का निर्णय दिनांक 28–2–2001 एवं तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा का आदेश दिनांक 15–4–1985 को बहाल रखने का आदेश पारित किया गया, जिससे व्यथित प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत तीन निगरानियां मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। **4–** उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। **5–** विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि प्रार्थीगण को विवादित आराजी दिनांक 06–9–1975 को कीमतन आवंटित की जाकर मौके पर कब्जा दे दिया गया था तथा प्रार्थीगण के पक्ष में गैर खातेदारी का इंतकाल भी दर्ज हो चुका था। प्रार्थीगण को कीमतन आवंटन की बकाया किश्त जमा कराने के लिए तहसीलदार ने नोटिस जारी किया, जिस पर प्रार्थीगण ने कुछ समय देने का आवेदन लिखित में करते हुए निवेदन किया जिस पर तहसीलदार तिजारा ने मौखिक रूप से समय देने का आश्वासन दे दिया। लेकिन उन्होंने बिना प्रार्थीगण को नोटिस दिये उनका आवंटन निरस्त कर दिया जो प्राकृतिक न्याय नियमों व सिद्धान्तों के विपरीत होने से निगरानीधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण गरीब अनुसूचित जाति के होने से बकाया किश्त समय पर जमा नहीं करा पाये और राशि की व्यवस्था के लिए कुछ समय और चाहा, जिसके विपरीत उनका आवंटन निरस्त कर विवादित भूमि राजस्थान राज्य से बाहर के निवासी अप्रार्थी संख्या 2 को मिलीभगत से आवंटित कर दी गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थीगण की अपील को खारिज कर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में हुए आवंटन की जांच करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया गया। उक्त निर्णय में प्रार्थीगण के तथ्यों पर निर्णय पारित नहीं कर अपने क्षेत्राधिकार से विपरीत जा कर निर्णय दिया गया है, जिसे द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर के आदेश का विश्लेषण नहीं कर सीधे अपील खारिज करने का आदेश पारित किया है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर भयंकर कानूनी भूल की है। अतः तीनों निगरानियाँ स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में हुए आवंटन आदेश दिनांक 06–9–1975 को बहाल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1– निगरानी/एलआर/1688/2005/अलवर** **शेरसिंह बनाम सरकार व अन्य** **2– निगरानी/एलआर/1689/2005/अलवर** **रामसिंह बनाम सरकार व अन्य** **3– निगरानी/एलआर/1690/2005/अलवर** **शेरसिंह वगैरह बनाम सरकार व अन्य**	
	रखा जाकर शेष राशि जमा कराने का अवसर प्रदान किया जावे। **6–** विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में अभिकथन किया कि प्रार्थीगण को विवादित आराजी कस्टोडियन भूमि होने की वजह से प्रक्रिया व नियमों अनुसार कीमतन आवंटित की गई थी, किन्तु प्रार्थीगण द्वारा आवंटन की राशि जमा नहीं कराई गई। तहसीलदार तिजारा ने राशि जमा करवाने बाबत प्रार्थीगण को नोटिस जारी किये, जिस पर प्रार्थीगण ने राशि जमा करवाने बाबत एक माह का समय चाहने पर उनको एक माह का समय दिया भी गया था। फिर भी प्रार्थीगण द्वारा आवंटन की राशि जमा नहीं करवाने पर तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा ने नियमानुसार प्रार्थीगण का आवंटन निरस्त कर दिया गया, जिसकी अपील प्रार्थीगण ने 10 वर्ष पश्चात प्रस्तुत करने पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा प्रार्थीगण की अपील को खारिज कर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में हुए आवंटन की जांच करने के सम्बन्ध में प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया गया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की स्पष्ट विवेचना करते हुये तहसीलदार तिजारा द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में हुए आवंटन आदेश को निरस्त करने के आदेश को यथावत रखने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है, जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत् तीनों निगरानियां सारहीन होने से खारिज की जावे। **7–** प्रार्थीगण अभिभाषक के तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने अभिकथन किया कि न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर ने अपने निर्णय में अप्रार्थी संख्या 2 को हुए आवंटन पर पूर्ण विवेचन किया है। हमारे आवंटन आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी तथा उनका आवंटन आदेश वर्तमान में यथावत है। सरकार ने प्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार उनका आवंटन आदेश निरस्त कर हमारे पक्ष में विधिसम्मत आवंटन किया है। दोनों न्यायालयों द्वारा समवर्ती निश्कर्ष के साथ प्रार्थीगण का आवंटन खारिज योग्य ही माना है। मातहत न्यायालयों के निर्णयों में कोई विधिक अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी हस्तक्षेप योग्य त्रुटि नहीं है, अतः प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे। **8–** उभय पक्ष के काबिल अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों व निर्णयों का अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण को कस्टोडियन भूमि का आवंटन किया गया था लेकिन उनके द्वारा न आवंटन शर्तों की पालना की गई और न ही तहसीलदार द्वारा नोटिस द्वारा निर्देशित किया जाने पर भी उनके द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	1– निगरानी/एलआर/1688/2005/अलवर **शेरसिंह बनाम सरकार व अन्य** **2– निगरानी/एलआर/1689/2005/अलवर** **रामसिंह बनाम सरकार व अन्य** **3– निगरानी/एलआर/1690/2005/अलवर** **शेरसिंह वगैरह बनाम सरकार व अन्य**	
	आवंटन की नियमानुसार राशि जमा करवायी गई। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का आवंटन निरस्ती आदेश दिनांक 15–04–1985 को निरस्त कर उनका आवंटन पुनः बहाल करने का कोई विधिवत आधार नहीं बनता है। कालान्तर में विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 2 को आवंटित कर दी गई जिसके द्वारा निर्धारित राशि जमा करवाने पर उसे खातेदारी सनद प्रदान की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमद दारामद कर दिया गया। मातहत अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा अपने निर्णय में प्रार्थीगण की 10 वर्ष पश्चात प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने के साथ–साथ अपील को विस्तृत रूप से गुणावगुण पर भी स्वीकार योग्य नहीं होकर उनका विवादित भूमि पर कोई हक अधिकार नहीं बनना माना है। अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर दोनों ही न्यायालयों द्वारा समवर्ती विनिश्चय से प्रार्थीगण का पक्ष स्वीकार योग्य होना नहीं माना गया है तथा मातहत न्यायालयों के निर्णयों में कोई क्षैत्राधिकार, तथ्यपरक एवं विधिक त्रुटि न होकर हम इन निर्णयों में हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश होना नहीं मानते हैं। **9–** अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप तीनों निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन होने के आधार पर खारिज किये जाकर दोनों मातहत न्यायालयों के निर्णयों को यथावत रखा जाता है। तीनों निगरानी पत्रावलियां फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें तथा अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटा दिया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)** **सदस्य**	